लाल सूरज @ सूरज सिंह और अन्य
बनाम
झारखंड राज्य
(आपराधिक अपील संख्या 2062/2008)
18 दिसंबर, 2008
[एस.बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 319 - इस धारा के तहत अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए। - किसी आरोपी को बुलाने से पहले, ट्रायल कोर्ट को उसके सामने लाए गए सबूतों के आधार पर यह राय बनानी चाहिए कि मामला बन गया है और ऐसे व्यक्ति पर अन्य आरोपियों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। - जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, वह धारा 319 में निहित व्यक्ति के विवरण के दायरे में आ सकता है । तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और एफआईआर में भी उनका नाम नहीं था। - अपीलकर्ताओं को बुलाने के आवेदन को अनुमति देते समय निचली अदालतों द्वारा भरोसा किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं हैं। - अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला बनाने के लिए रिकॉर्ड में कोई ठोस सबूत नहीं है। - इस प्रकार, निचली अदालतों के आदेश को खारिज कर दिया गया।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर निर्भर करते हुए निचली अदालतों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ताओं को सम्मन करने के लिए आवेदन को स्वीकार करना न्यायोचित था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1.1. धारा 319 सी.आर.पी.सी. एक विशेष प्रावधान है। यह असाधारण स्थिति से निपटने के लिए है। यद्यपि यह व्यापक आयाम की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए। किसी अभियुक्त को समन करने का आदेश पारित करने से पहले, ट्रायल कोर्ट को अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह राय बनानी चाहिए कि ऐसा मामला बनाया गया है कि ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

साथ । यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया है, तो वह संहिता की धारा 319 में निहित ऐसे व्यक्ति के विवरण के दायरे में आ सकता है। [पैरा 11 और 12] [1065-बीडी]

1.2. आरोप तय करने के चरण में प्रबल संदेह का सिद्धांत एक मानदंड हो सकता है क्योंकि जांच के दौरान लाई गई सभी सामग्रियों को ध्यान में रखना आवश्यक था, लेकिन, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने के उद्देश्य से, जो आरोपी के रूप में सामने नहीं आया, एक अलग कानूनी सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता है। आरोप तय करने वाली अदालत के पास रिकॉर्ड में मौजूद सभी सामग्रियाँ होंगी जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ अदालत संहिता की धारा 319 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है, वहाँ अदालत के सामने लाए गए नए साक्ष्य के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ एक महीन लेकिन स्पष्ट अंतर है। [पैरा 15] [1066-जीएच; 1067-एबी]

2.1 अभियोजन पक्ष ने माना कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी केवल अपीलकर्ता नंबर 1 का नाम था। मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता कि हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो अपराध के लिए दोषी पाया गया था, उसे बाद के चरण में ट्रायल जज द्वारा बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे आरोपी को बुलाने के आदेश की वैधता अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगी। [पैरा 8 और 9] [1064-ए-सी]

2.2 सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के बयान पर भरोसा किया। पीडब्लू-6 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। पीडब्लू-7 केवल सुनी-सुनाई बात का गवाह है। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की उचित संभावना होने की संतुष्टि के लिए रिकॉर्ड पर कोई नाम-योग्य साक्ष्य नहीं लाया गया था। सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। [पैरा 13 और 14] [1066-बी, एफ, जी]

2.3. मामले के तथ्यों पर कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी विवादित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। [पैरा 21] [1069-EF]

दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी (1983) 1 एससीसी 1; युवराज अंबर मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 स्केल 369; गुरिया उर्फ तबस्सुम तौकीर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2007) 8 एससीसी 224; मोहम्मद . शफी बनाम मोहम्मद . रफीक व अन्य . एआईआर (2007) एससी 189 और कैलाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य । (2008) 3 स्केल 338, पर भरोसा किया गया।

वाई . सरबा रेड्डी बनाम पुथुर रामी रेड्डी और अन्य (2007) 4 एससीसी 773, विशिष्ट।

जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 1 एससीसी 345 और सोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य (1990) 4 एससीसी 580, संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

(2007) 4 एससीसी 773	निर्दिष्ट	को ।	पैरा	7
(1979) 1 एससीसी 345	निर्दिष्ट	को ।	पैरा	12
(1983) 1 एससीसी 1	निर्दिष्ट	को ।	पैरा	12
(1990) 4 एससीसी 580	निर्दिष्ट	को ।	पैरा	12
(1983) 1 एससीसी 1	निर्दिष्ट	को	पैरा	16
(2006) 10 स्केल 369	निर्दिष्ट	को	पैरा	17
(2007) 8 एससीसी 224	निर्दिष्ट	को	पैरा	18
एआईआर (2007) एससी 189	निर्दिष्ट	को	पैरा	19
(2008) 3 स्केल 338	निर्दिष्ट	को	पैरा	20

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2062/2008।

दिनांक 19.12.2007 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में सीआर एम.पी. क्रमांक 1188/2005

पी. एस. नरसिम्हा , एम एस मधु शरण , एस. चन्द्रशेखर

और एल. रोशमनी अपीलकर्ताओं के लिए।

प्रतिवादी की ओर से मनीष कुमार सरन ने पैरवी की। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार सुनाया गया:

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. बिहारी सिंह के फर्दबयान के आधार पर सात लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307 एवं 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि 24.10.20 को शाम करीब 4 बजे जब वह अजय सिंह नामक व्यक्ति के साथ बस स्टैंड के पास अपनी दुकान पर बैठे थे, नागेंद्र चौबे , मुकेश चौबे , प्रदीप विश्वकर्मा , शरवण विश्वकर्मा , सूरज सिंह, बीएन सिंह और अरबिंद सिंह दो वाहनों में आए और गोलीबारी शुरू कर दी। अपीलकर्ता नंबर 1 का नाम विशेष रूप से उसमें दर्ज था। उक्त घटना में शिकायतकर्ता और अजय सिंह को आग्नेयास्त्र से चोटें आईं। जब लोग वहां एकत्र होने लगे, तो आरोपी भाग गए। अपराध करने का मकसद जगदेव नामक व्यक्ति की हत्या बताया गया , जिसमें शिकायतकर्ता और अजय सिंह को आरोपी बनाया गया था। प्रथम सूचनाकर्ता को अस्पताल ले जाया गया और 25.10.2000 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने मृत्युपूर्व बयान दिया, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया।

3. निस्संदेह, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। इसलिए, उनके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

4. मामले को विद्वान सत्र न्यायाधीश की अदालत में सौंपे जाने पर अभियोजन पक्ष ने ग्यारह गवाहों की जांच की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "कोड") की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को बुलाने के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए पीडब्लू 6 और 7 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया:

> "इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सबूत का रूप नहीं ले सकता और यह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक प्रक्रिया जारी करने का सवाल है, गहरा संदेह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले में आगे बढ़ने का आधार हो सकता है।

वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार जब घायल व्यक्ति का बयान फर्दबयान का आधार बना , जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, तो पहले बयान का मूल्य भी विचारणीय बिन्दु होगा। अभि.सा. 7 का बयान भी मृत व्यक्ति का बयान कहा जाता है, तो अभि.सा. 7 का वह बयान भी साक्ष्य की कसौटी पर कसेगा। सूचक द्वारा ऊपर उल्लिखित दो व्यक्तियों सूरज सिंह और अरबिंद सिंह का नाम बताया गया है।

इस प्रकार रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ऊपर नामित सूरज सिंह और अरबिंद सिंह के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार उपरोक्त अवलोकन के मद्देनजर यह उचित होगा कि सूरज सिंह पुत्र मधु सिंह और अरबिंद सिंह पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ सिंह, दोनों निवासी गांव - बंदुबार , थाना पांकी , जिला - पलामू के खिलाफ समन जारी किया जाए और उन्हें सदर थाना केस संख्या 381/2000 के अनुरूप जीआर 1256/2000 में अभियुक्त के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार किया जाए।

कार्यालय को उन दो व्यक्तियों के लिए अलग से रिकॉर्ड खोलने का निर्देश दिया जाता है, जिसका क्रमांक 209बी/2004 है, तथा उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध उनके मुकदमे के लिए सम्मन जारी करने का भी निर्देश दिया जाता है।"

5. अपीलकर्ताओं ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। विवादित निर्णय के आधार पर उसे खारिज कर दिया गया।

6. श्री पीएस नरसिम्हा ने हमें पीडब्लू 6 और 7 के साक्ष्यों से अवगत कराया और प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने एक गंभीर त्रुटि की हैं, क्योंकि वे संहिता की धारा 319 के तहत अदालत की शक्ति के प्रयोग में एक अभियुक्त को समन करते समय लागू किए जाने वाले कानूनी सिद्धांतों पर विचार करने में विफल रहे।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनीष कुमार सरन ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें उठाया गया एकमात्र तर्क यह था कि उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता था।

सरबा रेड्डी मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया है। बनाम पुथुर रामी रेड्डी और अन्य [(2007) 4 एससीसी 773]।

8. अभियोजन पक्ष ने माना कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी केवल अपीलकर्ता नंबर 1 का ही नाम था।

9. मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्ति या कोई अन्य जो पाया गया अपराध के कमीशन में शामिल होने वाले अभियुक्त को विद्वान ट्रायल जज द्वारा बाद के चरण में बुलाया जा सकता है, हालांकि, ऐसे अभियुक्त को बुलाने के आदेश की वैधता अभियोजन पक्ष के गवाहों और अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करेगी। उस स्थिति में इस स्तर पर जो महत्वपूर्ण है वह अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य तथा अन्य सामग्रियां हैं जिन्हें रिकार्ड पर लाया गया है।

10. संहिता की धारा 319 इस प्रकार है:

"319 न्यायालय में उपस्थित होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति होना । (1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकेगा जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, वहां उसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित होता है, यद्यपि वह गिरफ्तार न हो या सम्मन पर न हो, उसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, जो उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां -

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही

लाल सूरज @ सूरज सिंह और एएनआर। बनाम 1065 राज्य
झारखंड [एस.बी. सिन्हा, जे.]

शुरू किया गया , और गवाहों की पुनः सुनवाई की गई;
(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामला इस प्रकार आगे बढ़ सकेगा मानो ऐसा व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिसके आधार पर जांच या परीक्षण प्रारंभ किया गया था।"

11। संहिता की धारा 319 एक विशेष प्रावधान है। इसका उद्देश्य असाधारण स्थिति से निपटना है। यद्यपि यह व्यापक आयाम की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए।

किसी अभियुक्त को समन करने का आदेश पारित करने से पहले, विचारण न्यायालय को अपने समक्ष लाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह राय बनानी होगी कि ऐसा मामला बनता है कि ऐसे व्यक्ति पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

12. इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है , तो भी वह संहिता की धारा 319 में निहित ऐसे व्यक्ति के विवरण के दायरे में आ सकता है ।

वाई. सरबा रेड्डी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया। इसने जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1979) 1 एससीसी 345], दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन मामले में इस न्यायालय के कई प्रसिद्ध निर्णयों पर भरोसा किया। रोहतगी [(1983) 1 एससीसी 1] और सोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य [(1990) 4 एससीसी 580]।

हालाँकि, हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक असाधारण कदम उठाया था जिसे इस न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण में एक बुनियादी भ्रांति के रूप में वर्णित किया था। इसने खुद को संतुष्ट करने के लिए फ़ाइल माँगी थी कि क्या की गई जाँच को पीडब्लू-1 के साक्ष्य से बेहतर माना जाना चाहिए। उपर्युक्त स्थिति में, यह देखा गया:

"...यदि जांच अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी की संतुष्टि को निर्णायक माना जाए, तो संहिता की धारा 319 का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हालांकि हमेशा जांच अधिकारी की संतुष्टि ही सर्वोपरि नहीं हो सकती, फिर भी इस मामले में उच्च न्यायालय ने पीडब्लू1 के साक्ष्य को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया है। चाहे साक्ष्य का मूल्य कुछ भी हो।

संहिता की धारा 319 के प्रयोजनों के लिए उसके साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित था । यह निष्कर्ष कि 100% संतुष्टि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, टिकने योग्य नहीं है..."

उक्त आदेश पर कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती।

हालाँकि, इसमें शामिल तथ्य पूरी तरह से अलग है।

13. जैसा कि पूर्व में बताया गया है, विद्वान सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने जोगेन्द्र सिंह (पीडब्लू-6) तथा कारू सिंह (पीडब्लू-7) के बयान पर भरोसा किया।

जोगेंद्र सिंह ने अपने बयान में केवल इतना कहा कि अपीलकर्ता उक्त जीप में बैठे थे। हालाँकि, वाहन बहुत तेज़ गति से चलाया जा रहा था और इसलिए, वह यह भी नहीं देख सका कि उसमें बैठे लोगों के पास कोई हथियार था या नहीं। इसलिए, वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

पी.डब्लू.-7 ने अपने बयान में कहा:

"1. घटना दिनांक 24.10.2003 को शाम करीब 4-1/2 बजे घटित हुई थी। उस समय मैं अपने घर पर था। घटना की सूचना मिलने पर हम लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे पिता और अजय सिंह बिस्तर पर थे। अजय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पिता बयान दे रहे थे तथा उनका बयान राम सागर द्वारा दर्ज किया जा रहा था। तिवारी दरोगा जी . मेरी भी पिताजी से बात हुई थी . उन्होंने बताया कि सूरज सिंह, अरबिंद सिंह, बीएन सिंह, प्रदीप विश्वकर्मा , श्रवण विश्वकर्मा , नागेन्द्र चौबे और मुकेश चौबे ने यह अपराध (घटना) किया था।"

इस प्रकार, वह केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह है।

14. इसलिए, इस बात पर संतोष करने के लिए कोई भी साक्ष्य रिकार्ड में नहीं लाया गया कि अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराए जाने की कोई उचित संभावना थी।

15. विद्वान सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। आरोप तय करने के चरण में प्रबल संदेह का सिद्धांत एक मानदंड हो सकता है क्योंकि जांच के दौरान लाई गई सभी सामग्रियों को ध्यान में रखना आवश्यक था।

विचाराधीन, लेकिन, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने के उद्देश्य से, जो अभियुक्त के रूप में नहीं आया, एक अलग कानूनी सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता है। आरोप तय करने वाली अदालत के पास रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सामग्री होगी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ अदालत संहिता की धारा 319 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है, वहाँ अदालत के सामने लाए गए नए साक्ष्य के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें एक महीन लेकिन स्पष्ट अंतर है।

16. राम किशन रोहतगी (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"19. इन परिस्थितियों में, इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष किसी भी स्तर पर ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जो न्यायालय को संतुष्ट करता है कि अन्य अभियुक्त या वे लोग जिन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी गई है, उन्होंने भी अपराध किया है, तो न्यायालय उनके विरुद्ध संज्ञान ले सकता है और अन्य अभियुक्तों के साथ उन पर मुकदमा चला सकता है। लेकिन, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि यह वास्तव में एक असाधारण शक्ति है जो न्यायालय को प्रदान की गई है और इसका प्रयोग बहुत ही संयम से और बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए , यदि अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हों, जिसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। इससे अधिक हम इस स्तर पर कुछ और नहीं कहना चाहेंगे..."

17. युवराज में अंबर मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006 (10) स्केल 369] में यह पाया गया कि रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने की संभावना है, भले ही उन्हें संपूर्ण रूप से सही माना जाए।

18. गुरिया उर्फ तबस्सुम तौकीर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [(2007) 8 एससीसी 224], जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय ने किया था, में यह माना गया कि जहां कोई नई सामग्री नहीं है, वहां संहिता की धारा 319 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है:

"12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पी.डब्लू. 1, 2 और 3 ने 16-4-2001 , 8-1-2002 और 29-4-2002 को दर्ज अपने साक्ष्य में अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में कहा है, लेकिन उनकी कोई निश्चित भूमिका नहीं बताई गई है। यदि वास्तव में शिकायतकर्ता

यदि अपीलकर्ताओं को आरोपी न बनाए जाने के बारे में कोई शिकायत थी , तो वह अधिक से अधिक पी.डब्लू. 1, 2 और 3 के साक्ष्य दर्ज होने के तुरंत बाद की जा सकती थी । , स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद, शिकायतकर्ता द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि धारा 319 सीआरपीसी के संदर्भ में आवेदन पहले क्यों नहीं दायर किया गया। पुनरीक्षण न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया और अचानक निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी पीडब्ल्यू ने कहा है कि अपीलकर्ताओं ने खुले तौर पर कृत्य किए हैं और उनके नाम भी विरोध याचिका में जगह पाते हैं। निर्विवाद रूप से, पीडब्ल्यू 1, 2 और 3 द्वारा अपीलकर्ताओं पर कोई खुला कृत्य नहीं लगाया गया है। पीडब्ल्यू 4 और 5 द्वारा अपीलकर्ताओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। एफआईआर में उनके नामों का उल्लेख था। एक विरोध याचिका दायर की गई थी। उसे भी खारिज कर दिया गया था। ये धारा 319 सीआरपीसी के संदर्भ में प्रार्थना को स्वीकार करने का आधार नहीं बन सकते थे। इसमें ऊपर बताए गए विभिन्न पहलुओं पर भी विचार नहीं किया गया।"

19. उक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा मोहम्मद शाफ़ट बनाम मोहम्मद में दोहराया गया है । रफीक और अन्य . [एआईआर 2007 एससी 1899] में कहा गया है:

प्रावधान का सहारा लेना चाहे , उसे आवश्यक तत्व पूरे करने होंगे। इसलिए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध करना जो ट्रायल का सामना नहीं कर रहा है, संबंधित अदालत को प्रतीत होना चाहिए। यह अदालत की ओर से स्वतः निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में विवेक का न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि ' न्यायालय को इस संबंध में अपनी संतुष्टि पर पहुंचना होगा।'

20. एक बार फिर कैलाश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [2008 जी (3) स्केल 338] में न्यायमूर्ति सिरपुरकर ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा :

"इन प्रावधानों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि परीक्षण के दौरान साक्ष्य से यह प्रकट होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर उन अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है जिन पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। इस धारा में मुख्य शब्द हैं "यह

प्रतीत होता है कि ".."किसी व्यक्ति ने ".."कोई अपराध किया है"। इसलिए, ऐसा नहीं है कि केवल इसलिए कि कुछ गवाहों ने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है या उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ सामग्री है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत विवेक का इस्तेमाल अदालत द्वारा किया जाएगा । यह इस तथ्य से अलग है कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसे विवेक का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर उस आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सके जिसके खिलाफ पहले से ही मुकदमा चल रहा है। इस अदालत ने, बार-बार, घोषित किया है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत विवेक का प्रयोग बहुत ही सावधानी और सावधानी से किया जाना चाहिए और केवल तभी जब संबंधित अदालत को विश्वास हो जाए कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कुछ अपराध किया गया है। इस शक्ति का अनिवार्य रूप से केवल सबूतों के आधार पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कानूनी सबूत रिकॉर्ड पर आ जाए और उस सबूत से ऐसा लगे कि संबंधित व्यक्ति ने कोई अपराध किया है इसमें कहा गया है कि न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी होगी तथा धारा की भाषा के अनुसार सावधानी बरतनी होगी।

21. इस मामले के तथ्यों पर उपर्युक्त कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम इस राय के हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी विवादित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर, रिकॉर्ड करने की कोई संभावना नहीं थी।

अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दोषसिद्धि का कोई निर्णय नहीं दिया गया।

22. इस प्रकार, अपील स्वीकार की जाती है तथा विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं।

एन.जे.

अपील स्वीकृत हुई।

<u>यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>